



Neutral Citation No. - 2026:AHC:48268

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3293 वर्ष 2026

संतोष कुमार श्रीवास्तव

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता	: अमित कुमार, निष्ठा केसरवानी
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- याची के विद्वान अधिवक्ता श्री अमित कुमार तथा राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेन्द्र प्रसाद को सुना गया।
- याची का कथन है कि उसे संविदा के आधार पर कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में नियोजित किया गया था, किन्तु उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। इसके उपरांत याची द्वारा रिट याचिका संख्या 5383 वर्ष 2024 प्रस्तुत की गई, जिसका निस्तारण दिनांक 25.04.2024 को इस निर्देश के साथ किया गया कि प्रत्यर्थीगण याची के अभ्यावेदन का निस्तारण करें। उक्त के अनुपालन में याची का अभ्यावेदन दिनांक 09.09.2024 को निरस्त कर दिया गया, जो वर्तमान रिट याचिका में चुनौती का विषय है। याची के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, याची विधि द्वारा उपलब्ध उपायों का अवलंबन करेगा।
- तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है। न्यायालय की अभिमति में, जब कोई वैधानिक उपचार उपलब्ध है, तो याची के लिए सदैव यह खुला है कि वह उक्त उपायों का सहारा ले। स्वाभाविक रूप से, यदि इस संबंध में कोई विलंब होता है, तो उसे परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत समुचित रूप से क्षम्य किया जा सकता है।

दिनांक : 10 मार्च, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।